कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सिद्धार्थनगर/संत कबीर नगर।

पत्रांक संख्याः सी0एफ0ओ0/स्कूलकालेज अग्निसुरक्षा/ दिनांकः 15/12/20

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
जी0आर0एकादमी
देवड़ाड, संत कबीर नगर।

विषय : स्कूल/कालेज भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विभागीय आख्या निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्कूल/कालेज भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण सुसंगत एन0बी0सी0 पार्ट–04 (फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी) मानकों व अन्य सुसंगत मानकों के अनुरूप प्रभारी अग्निशमन केन्द्र संत कबीर नगर से कराया गया, प्रेषित आख्या दिनांकः 14-12-20 का परिशीलन करने पर निम्न तथ्य पाये गयेः–

1. फायर सर्विस के वाहनों का पहुंच मार्ग संतोषजनक है।
2. उपस्थित कर्मचारियों को फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण कराया गया।
3. ज्वलनशील पदार्थो का रख–रखाव ठीक पाया गया।
4. फायर एक्सटिंग्यूसर स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।
5. निकास व्यवस्था संतोषजनक है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल/कालेज भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं की कार्यशीलता की आख्या दिनांकः 15-12-20 से 14-12-21 तक निम्न शर्तो/उपबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1. स्कूल/कालेज परिसर में अन्य किसी भी अतिरिक्त निर्माण कराये जाने के पूर्व इस विभाग से अग्नि सुरक्षा सुझाव/ अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से लेना आवश्यक है।
2. अग्रिम नवीनीकरण वर्ष में पुराने उपकरणों की हाइड्रो टेस्टिंग विभागीय देखरेख में ही कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाय। जिससे उपकरण की कार्यशीलता तथा गुणवत्ता नियमानुसार सुनिश्चित करायी जा सके।
3. प्रत्येक वर्ष स्कूल/कालेज भवन की सुरक्षा व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी।
4. उपरोक्तानुसार उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त ढ़ांचागत तथा अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0–2016 पार्ट–4 व अन्य मानकों के अनुरूप रखरखाव करना संबंधित की जिम्मेदारी होगी।
5. वर्ष में न्यूनतम् दो बार इवेक्यूवेशन मॉकड्रील करायी जाय।
6. निकास/प्रवेश द्वार हमेशा अवरोधमुक्त रखे जायें।

अतः उल्लेखित सुरक्षा उपबन्धों का पालन करने तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें सदैव कार्यशील रखे जाने की शर्त पर स्कूल/कालेज भवन में स्थापित सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का क्रियाशीलता की आख्या एक वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पालन न करने तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें अकार्यशील पाये जाने पर निर्गत अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं की कार्यशीलता की विभागीय आख्या स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

15/12/20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सिद्धार्थनगर/संतकबीरनगर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
संत कबीर नगर

प्रतिलिपि –

प्रभारी अग्निशमन केन्द्र, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त भवन/ प्रतिष्ठान का समय–समय पर अग्निशमन के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner